न्यायालय अति.संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी ए.एच गौरी, आर.ए.एस.

अपील संख्या 76/2022 एल.आर. एक्ट (GCMS No 2022/78)

1. मंगलाराम | पिसरान् रेवन्तराम जाति मेधवाल साकिन सुरजनसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. धूडाराम |
3. रामकुमार पुत्र पुत्र रेवन्तराम जाति मेधवाल साकिन सुरजनसर तहसील नोहर।
4. भंवरलाल पुत्र मेधाराम जाति जाट साकिन सुरजनसर तहसील नोहर।
5. महावीर पुत्र मेधाराम जाति जाट साकिन सुरजनसर तहसील नोहर।
6. शंकतूराम पुत्र उदमीराम जाति कुम्हार साकिन सुरजनसर तहसील नोहर।
7. ओम प्रकाश पुत्र हनुमान पुत्र हेतराम जाति जाट साकिन सुरजनसर तहसील नोहर।
8. पवन पुत्र महावीर पुत्र हेतराम जाति जाट साकिन सुरजनसर तहसील नोहर।

अपीलान्टान

बनाम

1. उपखण्ड अधिकारी,नोहर जिला हनुमानगढ।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नोहर जिला हनुमानगढ

रेस्पोडेंट्स

उपस्थितः
1. श्री विजय कुमार पारीक – अभिभाषक अपीलान्ट
2. श्री मोहम्मद इम्तियाज अली – राजकीय अभिभाषक

निर्णय **दिनांकः 21–12–2022**

1. यह अपील भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत जिला कलक्टर हनुमानगढ के आदेश दिनांक 31.10.2022 के विरूद्ध पेश हुई है।
2. अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि उपखण्ड अधिकारी नोहर ने अपने पत्र दिनांक 13.07.2022 द्वारा तहसील नोहर की ग्राम पंचायत खुईया के ग्राम सुरजनसर के खसरा नं. 522/353 की कुल 0.506 हैक्टेयर गै.मु. चारागाह भूमि में हाड्डारोडी आवटन/आरक्षण करने के प्रस्ताव जिला कलक्टर हनुमानगढ को प्रेषित किये। जिस पर जिला कलक्टर हनुमानगढ द्वारा अपने आदेश दिनांक 31.10.2022 द्वारा तहसील नोहर की ग्राम पंचायत खुईया के

अति.संभागीय आयुक्त
बीकानेर

ग्राम सुरजनसर के खसरा नं. 522/353 की 2.0620 हैक्टयर गै.मु. चारागाह भूमि मे से 0.506 हैक्टयर भूमि की किस्म आराजीराज कर हड्डारोड़ी हेतु आरक्षित करने के आदेश दिये तथा गै.मु. चारागाह भूमि की क्षतिपूर्ति हेतु ग्राम सुरजनसर के खसरा नं. 228 की 0.506 हैक्टयर बरानी 1 आराजीराज भूमि को गै.मु. चारागाह दर्ज किये जाने के आदेश पारित किये। उक्त आदेश के विरूद्व अपीलान्ट द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई है।

3. अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर, रेस्पोडेन्ट्स एवं अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब किया गया।

4. अपीलांट के विद्वान अभिभाषक ने अपील मीमो मे अंकित बिन्दुओं को को दौहराते हुए बहस के दौरान कहा कि ग्राम सुरजनसर ग्राम में पशुओ के चारागाह हेतु 8 बीधा भूमि वर्षो से है। इसमें से 2 बीधा भूमि हाडारोडी हेतु आरक्षित की है। अपीलान्ट की खातेदारी भूमि चारागाह की भूमि से चिपती हुई एवं समीपस्त है, ग्राम सुरजनसर मे गत 100 वर्षो से हाडारोडी हेतु भूमि है, इसी स्थान पर मृत पशु डाले जाते रहे है। दुसरी हाडारोडी हेतु भूमि की कोई आवश्यकता नही है। खसरा नं. 522/353 ग्राम सुरजनसर में 2 बीधा भूमि जो हाडारोडी हेतु आरक्षित की है, उसके पास भगवान का मंदिर है एव खेतो में ढाणिया बनी हुई है। उच्च न्यायालय जोघपुर के निर्णय भी है कि सिवाय चक व आराजी राज भूमि ही जिला कलक्टर सैक्शन 92 के तहत आरक्षित कर सकता है। जबकि आरक्षित की गई भूमि राजस्व रिकॉर्ड में चारागाह दर्ज है। अगर इस भूमि मे हाडारोडी स्वीकृत की गई तो शेष 6 बीधा भूमि में काश्त करना संभव नही होगा। अपीलाधीन आदेश बिना जांच किये पारित किया गया है। ग्राम पंचायत का कोई प्रस्ताव पास नही हुआ है। वार्ड पंचो ने मना कर दिया था। अगर पंचायत का कोई प्रस्ताव पास नही हुआ तो आगे की प्रोसिडिग गलत चली है। जिला कलक्टर हनुमानगढ ने बिना जांच किये, बिना मौका रिपोर्ट लिये आदेश पारित किया है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त फरमावे। अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने अपने कथन के

अति.संभागीय आयुक्त
बीकानेर

समर्थन में राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 92 तथा RRD 2012 पेज 386, का न्यायिक दृष्टांत पेश किया।

5. राजकीय अभिभाषक ने बहस के दौरान कहा कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय सही पारित किया गया है अतः अपीलान्ट की अपील खारिज की जावे।

6. हमने विद्वान अभिभाषकगणो की बहस पर मनन करते हुवे उपलब्ध दस्तावेजात, एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन/ अध्ययन किया। अपीलान्ट्स के द्वारा धारा 96 सी.पी.सी. के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया है कि अपीलाधीन आदेश मे वर्णित भूमि ग्राम सुरजनसर के खं. नं. 522/353 की 2.0620 हैक्टेयर भूमि गै.मु. चारागाह के चिपते हुए खातेदार काश्तकार है अपने कथन के समर्थन मे नकल जमा बन्दी प्रस्तुत की है जिससे अपीलान्ट्स प्रथम दृष्टया अपीलाधीन आदेश मे वर्णित भूमि के चिपते हुए काश्तकार होने के चलते प्रभावित पक्षकार होने के कारण प्रार्थना पत्र धारा 96 सी.पी.सी. स्वीकार किया जाता है।

7. अपीलाधीन आदेश दिनांक 31.10.2022 द्वारा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 92 के तहत राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम 7 के प्रावधानानुसार ग्राम सुरजनसर के खं. नं. 353 की 2.0620 हैक्टयर भूमि मे से 0.506 हैक्टयर भूमि का आरक्षण हड्डा रोडी हेतु किया गया है जबकि राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम 7 मे राज्य सरकार द्वारा No.F10(3)Rev- 6/2001/95/ Jaipur दिनांक 03.11.2020, No.F10(3)Rev- 6/2001/41/ Jaipur 29.06.2020, No.F10(3)Rev- 6/2001/ part 94/ Jaipur 01.10.2021, एवं No.F10(3)Rev- 6/2001 pt./06/ Jaipur दिनांक 27.01.2022 के साथ साथ क्रमांकः9 (20) राज–6/2017 / 09 जयपुर दिनांक 06.01.2021 से विस्तृत परिपत्र/सशोधन जारी किये है। अपीलाधीन आदेश पारित करते समय इन परिपत्रो/संशोधन की पालना किया जाना प्रथम दृष्टया जाहिर नही होता है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश दिनांक 31.10.2022 को निरस्त कर प्रकरण जिला कलक्टर हनुमानगढ को इस निर्देश के साथ प्रति

अति.संभागीय आयुक्त
बीकानेर

प्रेषित (Remand) किया जाता है कि राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम 7 मे किये गये संशोधनो/परिपत्रो में वर्णित दिशा निर्देशो के अनुसार पुनः निर्णय पारित करे।

8. तदनुसार अपील निर्णित शुमार हो। पत्रावली नम्बर से कम हो। पत्रावली बाद तरतीब, तकमील दाखिल दफ्तर रहे। निर्णय आज दिनांक 21.12.2022 को लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(ए.एच.गौरी)
अति.संभागीय आयुक्त,
बीकानेर